कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री बूंटी राम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणासर जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परेवर जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री बूंटी राम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 505/2021 बूंटी राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 505/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री बूंटी राम को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 2 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की सेवानिवृति में 2 वर्ष से कम समय शेष रहने के कारण स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः राउमावि राणासर जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करवाये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

उक्तानुसार अपीलार्थी श्री बूंटी राम, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि राणासर जिला झुन्झुनूं से राउमावि परेवर जिला जैसलमेर) का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था, अतः अपीलार्थी श्री बूंटी राम को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि परेवर जिला जैसललमेर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुरेन्द्र कुमार/505/2021 दिनांकः 05.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/बीकानेर संभाग, चूरू/बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/श्रीगंगानगर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)